रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 249] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 7, 1984/आषाढ़ 16, 1906
No. 249] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 7, 1984/ASADHA 16, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1984

अधिसूचना

सं. 196/84-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 499(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ

अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 38 या अध्याय 39 के अंतर्गत आने वाले केबिल विद्युतरोधी, अंतर्भरण और पूरक सम्मिश्रणों को जब उनका भारत में आयात किया जाए, उक्त पहली अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क के उतने भाग से, जो मूल्य के चालीस प्रतिशत की दर से संगणित की गई रकम से अधिक है, छूट देती है ।

[फा. सं. 355/158/83-सीमा-शुल्क-1]

एम. एन. बिश्वास, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 7th July, 1984

NOTIFICATION

No. 196|84-CUSTOMS

G.S.R. 499(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts cable insulating, impregnating and filling compounds, falling within Chapter 38 or Chapter 39 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 fo 1975), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate of 40 percent ad valorem.

[F. No. 355|158|83-Cus-I]

M. N. BISWAS, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1984